IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, December 2022
Impact Factor: 6.252

निजी बैंकों का रीवा जिले के आर्थिक विकास में भूमिका का एक अध्ययन

डॉ. मनीष कुमार शुक्ला[1] and अनुराग तिवारी[2]

प्राध्यापक, वाणिज्य संकाय, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)[1]

शोधार्थी, वाणिज्य संकाय, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)[2]

शोध सारांशः विश्व के समस्त विकसित तथा विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था के संचालन में बैंकिंग संस्थाएँ, चाहे वे निजी क्षेत्र की हों या सार्वजनिक क्षेत्र की हों, महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। इन संस्थाओं के अभाव में सुदृढ़ तथा गतिशील अर्थव्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये संस्थाएँ आर्थिक साधनों को एकत्रित कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी आवश्यकतानुसार प्रवाहित करने के अतिरिक्त अनेक उपयोगी कार्यों को निष्पादित करती हैं। ये बैंकिंग संस्थाएँ उत्पादन के विभिन्न कारकों का उपयोग करने में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक के प्रसार में उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। ये योजनाबद्ध तरीके से अर्थव्यवस्था में प्रभावकारी परिवर्तन लाती हैं तथा एक मजबूत नींव का निर्माण करती हैं। ये रोजगार के अवसर सृजित करने के अलावा बैंकिंग जन समुदाय के समाजार्थिक स्तर को ऊँचा उठाती हैं।

मुख्य शब्दः निजी बैंक, आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था, विकसित आदि।

प्रस्तावनाः

आज देश का बैंकिंग आर्थिक क्षेत्र सुधार की रूपान्तरण प्रक्रिया से गुजरते हुये वैश्विक बैंकिंग प्रतिमानों को छूने को आतुर हैं। आज भारतीय बैंकिंग प्रणाली में मशीनीकरण का दौर चरम सीमा पर है तथा प्रत्येक निजी एवं सार्वजनिक बैंक अपने इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं को ग्राहकोन्मुखी बनाने के लिए प्रयासरत हैं। ग्राहक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुये लगभग सभी बैंक ग्राहक हेल्प लाइन, ग्राहक केयर सेंटर, ग्राहक हेल्प डेस्क, ग्राहक वेब सेंटर, ग्राहक रिटेल मार्ट आदि सुविधाओं का विकास व विस्तार करने में जुटे हुये हैं।

किसी भी क्षेत्र के विकास में कृषि के क्षेत्र को बिना विकसित किये हुये कल्पना नहीं की जा सकती है। जिले की कुल आबादी का लगभग 65–70 प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर है। रीवा जिले की रायपुर कर्चुलियान तहसील, सिरमौर तहसील व मऊगंज तहसील कृषि उत्पाद में अपना विशेष स्थान रखती हैं। कृषि की उत्पादन क्षमता को और बढ़ाने एवं आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करने हेतु धन (वित्त) की आवश्यकता

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, December 2022
Impact Factor: 6.252

पड़ती है जिसकी पूर्ति के लिए किसान आसान शर्तों व सरल वसूली प्रक्रिया के कारण कृषि विकास से संबंधित बैंकों जैसे कृषि सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, ग्रामीण विकास बैंक एवं अन्य कृषि से संबंधित वित्तीय संस्थानों से ही ऋण लेना ज्यादा पसंद करते हैं। जबकि सार्वजनिक व निजी बैंकों की विभिन्न प्रकार की औपचारिकताओं एवं वसूली के कड़े नियम के कारण किसान ऋण लेने से ही कतराने लगते हैं। इस संबंध में प्रश्नावली में अंकित प्रश्नों के उत्तर के आधार पर निजी बैंकों के प्रति छोटे एवं मध्यम स्तर के कृषकों का दृष्टिकोण पूर्णतया नकारात्मक था। उनका कहना था कि निजी बैंकों की ब्याज दर सार्वजनिक बैंकों की तुलना में अधिक है। साथ ही साथ ऋण की वसूली की प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से कठोर है, जिसके कारण किसानों का झुकाव इन बैंकों की ओर कम है। हाँ बड़े किसान जिनके पास बड़े पैमाने पर भूमि का क्षेत्र उपलब्ध है। वे इस भूमि क्षेत्रों के आधार पर इन बैंकों से ऋण प्राप्त कर पाते है। वैसे निजी बैंकों के उद्देश्यों में किसानों को द्वण प्रदान करना प्रमुखता से शामिल किया जाता है। परन्तु व्यावसायिक रूप से आर्थिक जोखिम होने के कारण अन्य बैंकों की तुलना में इनके द्वारा स्वीकृत राशि कम है।

कृषकों के भूमि पर उनके उपज के आधार पर एक निश्चित सीमा की क्रेडिट का निर्धारत किसान कार्ड के मध्यम से किया जा रहा है। इस ओर निजी बैंकों की प्रगति किसानों के पक्ष में कही जा सकती है, साथ ही साथ समय–समय पर किसान कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं को लागू कर निजी बैंक अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने का प्रयास कर रही है।

पूरे रीवा जिले के अंतर्गत निजी बैंक, कुछ तहसील के अलावा, ब्लाक व ग्रामीण क्षेत्र में न होने के कारण किसानों को इन बैंकों की अपने से संबंधित सुविधाओं व लाभों की जानकारी नहीं मिल पाती हैं। यह तथ्य भी पर्यवेक्षण के दौरान परिलक्षित हुआ। सर्वेक्षण के दौरान कुछ ऐसे किसानों से भी विचारों का आदान–प्रदान हुआ, जो इन बैंकों को जानते तो हैं परन्तु इनके प्रति विश्वास न होने के कारण यहाँ से साख अर्जित करने में डरते हैं। अन्त में यह कहा जा सकता है कि निजी बैंकों के प्रति किसानों का दृष्टिकोण सकारात्मक कम नकारात्मक अधिक है।

निजी बैंकों का रीवा जिले के आर्थिक विकास में योगदान के तहत वित्तीय, विकासात्मक और पर्यवेक्षी–जिनके माध्यम से वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लगभग हर पहलू में योगदान कर रहा है। इनके अंतर्गत उसके विभिन्न दायित्व हैं–पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराना, ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना, जिला स्तरीय ऋण योजनाएँ तैयार करना, बैंकिंग उद्योग को ऋण वितरण के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देश देना और प्रेरित करना, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पर्यवेक्षण करना और श्रेष्ठ बैंकिंग पद्धतियाँ विकसित करने में उनकी मदद करना तथा उन्हें सीबीएस प्रणाली में शामिल होने में सहायता

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, December 2022
Impact Factor: 6.252

देना, ग्रामीण विकास के लिए नई योजनाएँ तैयार करना, भारत सरकार की विकास योजनाएँ कार्यान्वित करना, हस्तशिल्प कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें अपने उत्पादों की बिक्री के मंच उपलब्ध कराना।

निजी बैंक ने वर्ष 2020–21 के दौरान अल्पावधि और दीर्घावधि वित्तपोषण के लिए बैंकों को क्रमशः रु. 1,30,964 करोड़ और रु.92,786 करोड़ संवितरित किए। निजी बैंक पुनर्वित्त के माध्यम से सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उत्पादन, विपणन और अधिप्रापण गतिविधियों के लिए पुनर्वित्त के रूप में ऋण और अग्रिम प्रदान करता है. इसकी चुकौती मांग किए जाने पर अथवा निर्धारित अवधि (अधिकतम 12 महीने) की समाप्ति पर की जाती है. अल्पावधि पुनर्वित्त प्रावधान का मूल प्रयोजन बैंकों के संसाधनों में वृद्धि करना और आधार स्तरीय ऋण प्रवाह को बेहतर करना है.

निजी बैंक विभिन्न संस्थाओं को उनके संसाधनों में वृद्धि के लिए दीर्घावधि और अल्पावधि पुनर्वित्त प्रदान करता है ताकि किसानों और ग्रामीण कारीगरों आदि की निवेश संबंधी गतिविधियों को सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त ऋण प्रदान किया जा सकें। कृषि कार्यों, खाद, उन्नतिशील बीज, एवं कृषि से सम्बन्धित आवश्यक उपकरणों की खरीदी के लिए ग्रामीण किसानों को वित्तीय व्यवस्था के लिए जिला सहकारी बैंक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों से ऋण प्राप्त कर कृषि के कार्यों को आसानी से करने में मदद मिली है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा किसानों को फसल उत्पादन के लिए फसल ऋण दिए जाते हैं जिससे देश में खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है. वर्ष 2020–21 के दौरान निजी बैंक ने सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मौसमी कृषि परिचालनों के लिए रु.95,731 करोड़ और मौसमी कृषि परिचालनों से इतर परिचालनों के लिए रु.11,733 करोड़ संवितरित किए.

निजी बैंक ने लघु वित्त बैंकों (एसएफ़बी) को सहायता देने के लिए एक नई सुविधा भी आरंभ की है और इस सुविधा के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लघु वित्त बैंक (एसएफ़बी) को रु.49 करोड़ की अल्पावधि पुनर्वित्त सहायता प्रदान की गई.

निजी बैंक की दीर्घावधि पुनर्वित्त व्यवस्था के तहत वित्तीय संस्थाओं को कृषि क्षेत्रों की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है जिसकी अवधि 18 माह से 5 से अधिक वर्ष तक होती है. वर्ष 2020–21 के दौरान, निजी बैंक ने वित्तीय संस्थाओं को रु.92,786 करोड़ की राशि संवितरित की.

कोविड के पश्चात् ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले प्रवासन के मुद्दे का समाधान करने और कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निजी बैंक ने 4 विशेष पुनर्वित्त योजनाओं नामतः एमएससी के रूप में पैक्स के लिए योजना, वाटरशेड साथ ही वाडी परियोजना क्षेत्रों के लाभार्थियों के लिए योजना, जल, स्वच्छता और आरोग्य (वॉश) के लिए योजना और सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों के लिए योजना का आरंभ किया, निजी बैंक ने विशेष रूप से सहकारी बैंकों (राज्य सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों)

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, December 2022
Impact Factor: 6.252

तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी)के लिए कृषि गतिविधियों में निवेश ऋण के लिए दीर्घावधि पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने हेतु भारत सरकार ने निजी बैंक में एलटीआरसीएफ़ की स्थापना की, लॉकडाउन के दौरान किसानों को फसल कटाई और उत्पादन संबंधी गतिविधियों के लिए अबाधित ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए निजी बैंक ने सहकारी बैंकों को रु.16800 करोड़, क्षेग्रा बैंकों को रु. 6700 करोड़ और एनबीएफ़सी–एमएफ़आई को रु. 2000 करोड़ की राशि संवितरित की जिसकी वजह से भारत ने लॉकडाउन के दौरान भी कृषि उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. निजी बैंक ने रु. 500 करोड़ से कम आस्तियों वाले एनबीएफ़सी–एमएफ़आई को रु. 1567 करोड़ की अतिरिक्त विशेष चलनिधि सहायता (एसएलएफ़) प्रदान की. कोविड–19 महामारी के कारण जिन रासकृग्रावि बैंकों को चलनिधि की कमी का सामना करना पड़ा उन पात्र रासकृग्रावि बैंकों को एसएलएफ़ प्रदान की गई थी. 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार इस ऋण सुविधा के अंतर्गत 5 राज्यों में रासकृग्रावि बैंकों को रु.908.16 करोड़ की राशि संवितरित की गई.

सहायता प्राप्त एबीआईसी सिंचाई, बीज उत्पादन, जैव–कीटनाशक, जैव उर्वरक, प्रिसीज़न फ़ार्मिंग, कृषि–प्रसंस्करण, विपणन, जैव ईंधन, पेयजल, स्वच्छता, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्टार्ट–अप्स/कृषि उद्यमों/उद्यमियों/किसानों/ किसान उत्पादक संगठनों आदि का विकास। पोषण करेंगे. ये एबीआईसी कृषि–स्टार्टअप और कृषि–उद्यमियों को व्यवहार्य वाणिज्यिक संस्थाओं में विकसित करने के लिए उन्हें व्यवसाय सहायता सेवाएँ और संसाधन, विपणन और वित्त प्रदान करेंगे जिसके परिणामस्वरूप किसानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ होंगे।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ग्रामीण आधारभूत संरचना निर्माण की परियोजनाओं में सहायता के लिए वर्ष 1995– 96 में निजी बैंक में ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि की स्थापना की थी जिसका स्रोत था अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य में कमी की राशि. इसके तहत निजी बैंक ने 2020–21 के दौरान रु.29,193 करोड़ की राशि संवितरित की, आज देश में ग्रामीण आधारभूत संरचना हेतु निधीयन में आरआईडीएफ बहुत बड़ा योगदान है।

दीर्घावधि सिंचाई निधि (एलटीआईएफ़) की घोषणा 2016–17 के केंद्रीय बजट में की गई थी. इसका प्रयोजन था दिसंबर 2019 तक 18 राज्यों की 99 चयनित मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को एक अभियान चलाकर तेजी से पूरा करना. इसके बाद भारत सरकार ने एलटीआईएफ के तहत चार अन्य परियोजनाओं के वित्तपोषण का अनुमोदन किया है, नामतरू–आंध्र प्रदेश में पोलावरम परियोजना, बिहार और झारखंड में उत्तर कोयल परियोजना, पंजाब की सरहिंद और राजस्थान फीडर रीलाइनिंग परियोजना, पंजाब में शाहपुर कंडी बांध परियोजना. इन परियोजनाओं के समन्वय और उन्हें पूरा करने में सहयोग प्रदान करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय (एमओजेएस) को नोडल मंत्रालय बनाया गया है. दिसंबर 2019 के बाद और 31 मार्च

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, December 2022
Impact Factor: 6.252

2021 तक अथवा योजना को जारी रखने के लिए अनुमति प्रदान की गई है जो भी पहले हो उस अवधि तक भारत सरकार ने एलटीआईएफ़ के अंतर्गत निधीयन की व्यवस्था को अनुमोदन प्रदान किया है. वर्ष 2020–21 के दौरान रु.2,461.84 करोड़ की राशि मंजूर की गई और रु.7761.20 करोड़ की राशि संवितरित की गई थी. 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार एलटीआईएफ़ के अंतर्गत संचयी रूप से रु.84,326.60 करोड़ की राशि मंजूर की गई और रु.52,479.71 करोड़ की राशि जारी की गईं। भारत सरकार ने योजना के अंतर्गत निधियां जारी करने की अवधि 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है।

2020–21 के दौरान निजी बैंक ने पीएमएवाई–जी के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) को रु. 20,000 करोड़ की राशि मंजूर की तथा रु. 19,999.80 करोड़ की राशि संवितरित की. 31 मार्च 2021 की स्थिति में एनआरआईडीए को मंजूर संचयी राशि रु. 61,975 करोड़ थी जिसमें से रु. 48,819.03 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है. यह वित्तीय सहायता पीएमएवाई–जी के तहत प्रदान की गई है जिसका उद्देश्य है वर्ष 2022 तक कच्चे और जीर्ण–शीर्ण मकानों में रहने वाले लोगों सहित सभी बेघर परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के मकान उपलब्ध करवाना।

2019–20 से निजी बैंक में रु.5,000 करोड़ की समूह निधि के साथ सूक्ष्म सिंचाई निधि संचालित की गई। इस निधि का उद्देश्य राज्य सरकारों को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत अधिकाधिक परियोजनाओं को शामिल करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों के संग्रहण में सहायता करना और पीएमकेएसवाई–पीडीएमसी के प्रावधानों के दायरे से बाहर किए गए काम को प्रोत्साहित करना है. इस कार्य के लिए नोडल मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओए और एफ़डबल्यू), भारत सरकार है. निजी बैंक ने 2020–21 के दौरान एमआईएफ़ के अंतर्गत रु.1,128.60 करोड़ की राशि मंजूर की और रु.1,827.47 करोड़ की राशि जारी की. 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, संचयी रूप से रु.3,970.17 करोड़ की राशि मंजूर की गई और रु.1,827.47 करोड़ की राशि जारी की गई।

निजी बैंक आधारभूत संरचना सहायता के तहत ग्रामीण आधारभूत संरचना के वित्तपोषण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की सुप्रबंधित संस्थाओं को लचीला दीर्घकालिक ऋण प्रदान किया जाता है. कृषि आधारभूत संरचना, ग्रामीण कनेक्टिविटी, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत संचार, पेयजल और स्वच्छता, और अन्य सामाजिक और वाणिज्यिक आधारभूत संरचना परियोजनाओं को नीडा के तहत वित्तपोषित किया जाता है. कॉरपोरेट्स/कंपनियों, सहकारी संस्थाओं जैसी पंजीकृत संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं और गैर–पीपीपी परियोजनाओं को शामिल करने से नीडा के तहत वित्तपोषण का दायरा और व्यापक हो गया है. नीडा के तहत वित्तपोषण के विषय क्षेत्र में राज्य

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, December 2022
Impact Factor: 6.252

सरकारों को ऑफ–बजट और ऑन–बजट उधार देनल शामिल है जिससे राज्य सरकारों की बजट संबंधी बाध्यताएं कम हो जाती हैं।

वर्ष 2020–21 के दौरान, नीडा के तहत 19 ऋण प्रस्तावों के माध्यम से रु.22,767.75 करोड़ के सावधि ऋण को मंजूरी दी गई जिसमें 08 सिंचाई परियोजनाओं (60.9प्रतिशत रु.13,864.98 करोड़), 4 पेयजल परियोजनाओं (21.66प्रतिशत, रु.4,931.52 करोड़), 03 संचार परियोजनाओं (3.93प्रतिशत, रु. 893.68 करोड़) और ग्रामीण कनेक्टिविटी (5.09प्रतिशत, रु.1158.53 करोड़), ग्रामीण आवासन (3.48 प्रतिशत, रु. 792.44 करोड़), मल–निकास (0.28प्रतिशत, रु.64.87 करोड़) और संचार व्यवस्था क्षेत्र (4.06प्रतिशत, रु. 1061.73 करोड़) प्रत्येक के लिए 1 परियोजना को शामिल किया गया था।

विद्युत संचार संचार आधारभूत संरचना के आधुनिकीकरण में सहयोग प्रदान करने के लिए 15 राज्यों में 52 परियोजनाएँ ग्रामीण संपर्क (कनेक्टिविटी)7,410किलोमीटर लंबी सड़क और 7.93 किलोमीटर लंबा पुल निर्मित पेयजल की आपूर्ति 31,722 परिवारों को उनके घर तक जल की आपूर्ति की गई।

भंडारण और शीट भंडारण क्षमता 29,600 मीट्रिक टन क्षमता निर्मित स्वच्छता प्रतिदिन 15 मिलियन लीटर की क्षमता वाली मल–निकास उपचार सुविधा के साथ–साथ मल–निकास प्रणाली का निर्माण संचार–व्यवस्था 30,000 से अधिक सरकारी कार्यालयों को जोड़ने के लिए नेटवर्क 20 लाख परिवारों के लिए निःशुल्क इन्टरनेट की व्यवस्था अल्पावधि बहु–उद्देशीय ऋण हेतु जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता।

निजी बैंक जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण वितरण के लिए राज्य सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है. जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता की संकल्पना एक अतिरिक्त ऋण सुविधा के रूप में की गई थी ताकि वे ऋण वितरण में विविधीकरण कर सकें और लाभ अर्जक पोर्टफोलियो के माध्यम से अपनी आय बढ़ा सकें. यह ऋण सीमा सुशासित और वित्तीय रूप से सुदृढ़ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को मंजूर की जाती है जिन्हें निजी बैंक के नवीनतम निरीक्षण में श्एश या श्बीश श्रेणी प्राप्त हो. ऋण के पात्र प्रयोजनों में कार्यशील पूंजी, कृषि उपकरणों तथा अन्य उत्पादक आस्तियों की मरम्मत, उत्पाद का भंडारण/ग्रेडिंग/पैकेजिंग, विपणन गतिविधियां, कृषीतर गतिविधियां आदि शामिल हैं. यह सीमा नकद ऋण की प्रकृति की होती है जो मंजूरी की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के लिए परिचालन में रहती है. यह सीमा बैंकों की विशिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए 3 माह की अवधि के लिए भी उपलब्ध रहती है। वर्ष 2020–21 के दौरान, डीआरए के तहत की गई मंजूरियों में 33प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई अर्थात वित्तीय वर्ष 2019–20 में रु.8,932 करोड़ की राशि के समक्ष वित्तीय वर्ष 2020–21 में रु.11,890 करोड़ की राशि मंजूर की गई. डीआरए के तहत संवितरणों में 20प्रतिशत की कमी आई अर्थात वित्तीय वर्ष

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, December 2022
Impact Factor: 6.252

2019–20 के दौरान रु.9,200 करोड़ के समक्ष वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान रु.7,373.49 करोड़ का संवितरण किया गया।

कृषि और कृषीतर क्षेत्र के ग्रामीण उत्पादकों को अपने उत्पादों के प्रभावी विपणन हेतु सहायता उपलब्ध कराने के लिए निजी बैंक ग्रामीण हाट/मंडियों की स्थापना तथा दस्तकारों द्वारा राष्ट्रीय/क्षेत्रीय स्तर पर प्रदर्शनियों और मेलों में भागीदारी के लिए सहयोग देता रहा है।

ग्रामीण मार्टों के माध्यम से, ग्रामीण समुदायों को अपने कृषि और कृषीतर उत्पादों को खरीदने और बेचने के लिए बाज़ारों तक पहुँचने में सहायता मिलती है. ग्रामीण हाट, उत्पादक संगठनों, ग्राम वाटरशेड और जनजाति विकास समितियों के लिए बाज़ारों तक पहुँचने के एक प्रभावी माध्यम के रूप में उभरे हैं. निजी बैंक ग्रामीण हाटों को आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना है जिसमें प्लैटफ़ार्म, छत, पेयजल सुविधा, स्वच्छता आदि सुविधाएँ शामिल हैं. वर्ष 2020–21 के दौरान रु.7.6 करोड़ की अनुदान सहायता के साथ 58 ग्रामीण हाटों को मंजूरी प्रदान की गई. 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार रु.54.23 करोड़ की अनुदान सहायता के साथ 636 ग्रामीण हाटों को मंजूरी प्रदान की गई।

ग्रामीण मार्ट उत्पादक समुदायों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और ग्रामीण समुदाय, विशेषकर महिलाओं और कमजोर वर्गों, द्वारा निर्मित घरेलू उत्पादों के लिए बाजार लिंक प्रदान करने में मदद करते हैं. इससे जमीनी स्तर पर आय और रोजगार सृजन में मदद मिलती है. वर्ष 2020–21 के दौरान, रु.7.6 करोड़ की अनुदान सहायता के साथ 155 ग्रामीण मार्टों को मंजूरी प्रदान की गई. 31 मार्च 2021 तक, 1085 ग्रामीण मार्टों को रु.23.2 करोड़ की अनुदान सहायता प्रदान की गई।

प्रदर्शनियां और मेले कारीगरों को एक सीधा विपणन मंच प्रदान करते हैं जिसके साथ उन्हें बाजार की सूचनाओं और ग्राहकों की पसंद जी जानकारी मिलती है और थोक खरीद के आदेश प्राप्त होते हैं. इन मेलों में भाग लेने से कारीगरों का सशक्तीकरण होता है जिससे वे व्यवसाय में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।

कोविड–19 महामारी और उसके बाद लगाए गए लॉकडाउन और सरकारी प्रतिबंधों ने प्रदर्शनियों और मेलों के आयोजन को प्रभावित किया. स्थिति बेहतर होने के बाद 09 क्षेत्रीय कार्यालयों ने रु.2.74 करोड़ की अनुदान सहायता के साथ 10 प्रदर्शनियों का आयोजन किया। प्रदर्शनियों के दौरान सहभागी उत्पादकों के सशक्तीकरण के लिए विभिन्न पहलें की जाती हैं, जैसे क्रेता–विक्रेता बैठक का आयोजन, ब्रांडिंग, विपणन, पैकेजिंग, प्रभावी संप्रेषण और उद्यमिता विकास पर वित्तीय समावेशन और डिजिटल भुगतान प्रणालियों के संवर्धन पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।

सर्वे का क्षेत्र रीवा जिला आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन समय से ऐसी भौगोलिक स्थिति पर स्थित है, जहाँ

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, December 2022
Impact Factor: 6.252

औद्योगिक विकास के अवसर बड़ी मात्रा में विद्यमान रहे। रीवा जिले को रेलमार्ग से जुड़ने के पश्चात व्यावसयिक गतिविधियों का विकास तीव्र गति से हुआ। रीवा जिले के प्रमुख औद्योगिक इकाई के रूप में सीमेण्ट उद्योग, बीड़ी उद्योग, अगरबत्ती उद्योग के साथ–साथ कृषि उद्योग से संबंधित विभिन्न उपोत्पाद जैसे– चना, सेब, नमकीन, पापड़, बेसन, आटा, मैदा, सोयाबीन से रिफाइण्ड तेल, अलसी का तेल, सरसो का तेल, खेली आदि भी खूब पनप रहे हैं। पशुपालन उद्योग, मत्स्यपालन उद्योग, सब्जी उद्योग आदि भी प्रदेश में अपना विशेष स्थान रखते हैं, इन उद्योगों के सुचारू रूप से संचालन के लिए वित्त (धन) की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी पूर्ति निजी एवं बाह्य दोनों स्रोतों से व्यवसायियों द्वारा की जाती है। चूँकि निजी स्रोत सीमित होते हैं, अतः बाह्य स्रोतों पर निर्भरता अधिक रहती है।

रीवा जिले में औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विभिन्न औद्योगिक संस्थान जैसे– राज्य वित्त निगम द्वारा स्थापित शाखा जिला औद्योगिक संगठन, विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक बैंक, विन्ध्य चेम्बर ऑफ कॉमर्स आदि कार्यरत हैं। परन्तु आवश्यकता के अनुरूप इसमें होने वाली विभिन्न औपचारिकताओं व अधिक समय लगने के कारण निजी बैंकों की आवश्यकता महसूस की गइ जिसके फलस्वरूप निजी बैंकों का रीवा जिले में खुलना प्रारम्भ हुआ। जिसमें आई.सी.आई.सी.आई बैंक, एच.डी.एफ.सी. बैंक, व ऐक्सिस बैंक जो भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में जानी पहचानी निजी बैंकिंग संस्थाएँ हैं। व्यवसायियों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में अपना मूल्यवान योगदान दे रही है। इस प्रकार रीवा जिले के विकास में निजी बैंक अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। सर्वे में मेरे द्वारा चयनित प्रश्नावली/अनुसूची के माध्यम से निजी बैंकों के प्रति व्यवसायियों के सकारात्मक व नकारात्मक विचारों को जानने का प्रयास किया गया है। शोध विषय की आवश्यकतानुसार पूर्व में ही रीवा जिले में कार्यरत निजी बैंकिंग संस्थाओं के आँकड़े प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

शोध कार्य का उद्देश्यः

1. निजी बैंक ने जिले के निवासियों के जीवन–स्तर में वृद्धि उपभोग एवं निर्वाह वृद्धि का अध्ययन किया गया है।
2. रीवा जिले में स्थापित बैंकों की शाखाओं में जमा राशि एवं ऋण राशि में वृद्धि का अध्ययन किया गया है।
3. बैंकिंग संस्थाओं तथा ऋण प्राप्त करने वालों की प्रमुख समस्याओं का अध्ययन किया गया है।
4. आधुनिक तकनीक द्वारा निजी बैंक की कमियाँ दूर कर अच्छा वातावरण तैयार करने का अध्ययन किया गया है ।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, December 2022
Impact Factor: 6.252

शोध निष्कर्षः

निष्कर्ष रूप में आम जनता की सोच चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित यह पायी गई कि इनका झुकाव सुरक्षा, स्थायित्व व अन्य दृष्टिकोण से निजी बैंकों की तुलना में सार्वजनिक बैंक बेहतर व अधिक सुविधा प्रदान करते हैं। क्योंकि उनके अनुभव एवं संप्रेषण के अन्य माध्यमों से सार्वजनिक बैंकों की ख्याति परिलक्षित हुई। निजी बैंक सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए भारत सरकार की ऋण सहबद्ध पूँजी सब्सिडी योजना को लागू करने वाली नोडल एजेंसियों में से एक है, इस योजना के तहत निर्दिष्ट उत्पादों/उप–क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु इकाइयों में प्रमाणित और उन्नत प्रौद्योगिकियों के प्रयोग हेतु सहायता दी जाती है, निजी बैंक ग्रामीण क्षेत्रों से आवेदन के लिए नोडल एजेंसी है, 5 अप्रैल 2016 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्टैंड अप इंडिया योजना उद्यम की स्थापना के लिए प्रति बैंक शाखा कम से कम एक अनुसूचित जाति या जनजाति उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को रु.10.00 लाख से लेकर रु.1.00 करोड़ तक के ऋण की सुविधा प्रदान करती है, इस सिलसिले में निजी बैंक ने जिला स्तर पर संपर्क केंद्र के रूप में कार्य करना जारी रखा जिसके अंतर्गत संवितरण पूर्व और संवितरण पश्चात् मार्गदर्शन दिया जाता है, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया जाता है, कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है, समस्याओं का समाधान किया जाता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचीः

[1]. सिन्हा, डॉ. वी.सी., भारत में अधिकोष, एस.बी.पी.डी. पब्लिशिंग हाउस, आगरा, 2019

[2]. सक्सेना, डॉ. एस.सी., औद्योगिक संगठन

[3]. त्रिवेदी, डॉ. आर.एन., शुक्ला डॉ. डी.पी., रिसर्च मैथ्योलॉजी, कॉलेज बुक डिपों, जयपुर 2018

[4]. त्रिवेदी, हरने, नेमा, भारतीय बैंकिंग प्रणाली, रमेश बुक डिपो, जयपुर 2007

[5]. त्रिवेदी डॉ. आर.एन., शुक्ला डॉ. डी.पी., रिसर्च मैथ्योलॉजी, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर 2017

[6]. Kothari, C.R., Research Methodology, New Age Inter national Pvt.k~ Ltd.k~ Second Edition, New Delhi 2004,

[7]. आई.सी.आई.सी.आई., ऐक्सिस, एच.डी.सफ.सी. बैंकों की वार्षिक प्रतिवेदन 2017 से 2021

[8]. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, बुलेटिन 2017 से 2021, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया मुम्बई

[9]. The Economic Times, The Indian Today Group, New Delhi, 2017 to 2021

[10]. कुरूक्षेत्र पत्रिका जुलाई 2019

[11]. योजना पत्रिका जनवरी 2017